न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 46/2010

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर।		1 जयप्रकाश सिंहल पुत्र मदनलाल जाति अग्रवाल निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार।
2 श्री श्यामलाल सिंघल वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक: 17.04.2018

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 232/18 रकबा 06.07 बीघा भूमि का प्रार्थी भूमिधारी है। उक्त भूमि में से रकबा 02.00 बीघा जो संलग्न नक्शे में दर्शाई गई है, जिसका उपयोग बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 232/18 रकबा 06.07 बीघा भूमि अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 232/18 रकबा 06.07 बीघा के अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार अवश्य है, परन्तु उक्त भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाकर दिनांक 06.01.2011 को अन्तिम एवार्ड पारित किया जा चुका है, जिससे प्रार्थी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी गई है, जो विचाराधीन है। चूंकि भूमि अवाप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना गया। पैरोकार सरकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि सम्परिवर्तन किये बिना अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया है। अतः उक्त भूमि जिसका कृषि से भिन्न उपयोग किया गया है, को राज्य सरकार में समाहित करते हुए प्रार्थी को उसका कब्जा प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 232/18 रकबा 06.07 बीघा के अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार अवश्य है, परन्तु उक्त भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाकर दिनांक 06.01.2011 को अन्तिम एवार्ड पारित किया जा चुका है, जिससे प्रार्थी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी गई है, जो विचाराधीन है। चूंकि भूमि

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अवाप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा मुआवजा की राशि को चुनौति देने बाबत् विचाराधीन प्रकरण की ऑनलाईन प्रति प्रस्तुत की, जिसमे प्रकरण लम्बित होना दर्शाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 232/18 रकबा 06.07 बीघा भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाकर दिनांक 06.01.2011 को अन्तिम एवार्ड पारित किया जा चुका है, जिससे प्रार्थी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी गई है, जो विचाराधीन है। भूमि अवाप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर (SDO),
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17.04.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(SDO),
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner